न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy Not for Official

क्रमांकः–38–2019/रीडर/2019/99

दिनांक 28/1/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बन्टवारा

अन्तर्गत धारा 88, 53, राज. काश्त. अधि.

वादी		प्रतिवादीगण
1. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. देवीसिंह पुत्र स्व.सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 2. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: **2019/38** दायर दिनांक **24.01.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. देवीसिंह पुत्र स्व.सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 2. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बन्टवारा

अन्तर्गत धारा 88, 53, राज. काश्त. अधि.

उपस्थित—

1. श्री समन्दरसिंह अधिवक्ता, वादी।
2. श्री राजकुमार अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 एक.।

—:: निर्णय ::—

दिनांक **25.01.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 239 रकबा 66 बीघा 02 बिस्वा व खेत ख. न. 1154/239 रकबा 08 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्थित है।जो वादग्रस्त खेत है। इन वादग्रस्त खेतो की जमीन पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का बराबर बराबर अर्थात 1/2–1/2 हिस्सा कब्जा काश्त चला आ रहा है।उक्त खेत पैत्रिक है।नकल खतौनी सम्वत 2070–2073 पेश है।

वादी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या 01 स्व सवाईसिंह के पुत्र है तथा उपरोक्त खेतो के खातेदार प्रेमकंवर स्व सवाईसिंह की पत्नि है तथा ओमकंवर, कमलाकंवर, सम्पतकंवर, सन्तोषकंवर, राजेशकंवर, प्रकाशकंवर, मोनिकाकंवर स्व सवाईसिंह की पुत्रियों है।

वादी व प्रतिवादी संख्या एक की माता प्रेमकंवर पत्नि स्व.सवाईसिंह व बहिने ओमकंवर, कमलाकंवर, सम्पतकंवर, सन्तोषकंवर, राजेशकंवर, प्रकाशकंवर, मोनिकाकंवर पुत्रियों स्व सवाईसिंह ने दिनाक 21.01.2019 को वादी व प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में रजिस्टर्ड तर्कनामा तहसीलदार साहब के यहा पंजियन करवा दिया जो पृष्ठ संख्या 21 कम संख्या 201903173100274 पर पंजिबद्ध किया गया है जिसकी नकल पेश है।

वादी व प्रतिवादी संख्या एक ने अपने पुर्वज स्व. सवाईसिंह के फौतगी के बाद ही उपरोक्त खेतो का व खेत मे बने बिजली लगा हुआ कुआ व मकान का 1/2–1/2 हिस्सा मौखिक बन्टवारा कर अलग–अलग काश्त करते है।उसी अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 काश्त कर रहे है तथा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

अपने बन्ट के अनुसार ही मौके पर सीवे–निवे कायम कर रखी है। तथा अपने काश्त की जमीन मे पेड–पौधे व खाद्य आदि डाल कर व चारो और सींवें निवे डाल कर उपजाउ बना रखा है।जिसको वादी ने अपने नजरी नक्शा अनुसूची"क" मे बन्टवारे के अनुसार अपने बन्ट को दर्शाया गया है।उक्त नजरी नक्शा अनुसूची"क" दावे का अहम भाग है।बन्ट निम्न प्रकार है:–

<u>(क)वादी संख्या एक के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :–</u>

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 239 रकबा 66 बीघा 02 बिस्वा में से 14 बीघा 10 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 239 रकबा 66 बीघा 02 बिस्वा में से 18 बीघा 10 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

<u>(ख) प्रतिवादी संख्या 01 के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :–</u>

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 239 रकबा 66 बीघा 02 बिस्वा में से 33 बीघा नजरी नक्शा के अनुसार

(ग) वादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 01 के सामलाती खातेदारी व बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :–

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 239 रकबा 66 बीघा 02 बिस्वा में से 02 बिस्वा जिसमे बिजली लगा हुआ कुआ व मकानात बने हुए है जो सामलाती खातेदारी मे नजरी नक्शा के अनुसार

(घ) वादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 01 के सामलाती खातेदारी व बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :–

मौजा दौलतपुरा के खेत ख. न. 1154/239 रकबा 08 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता सामलाती खातेदारी मे नजरी नक्शा के अनुसार

इस प्रकार मौके पर कब्जा काश्त व बन्ट के अनुसार कुल जमीन व बिजली लगा हुआ कुआ व मकानात के उपरोक्त अनुसार अलग–अलग 1/2–1/2 भाग किये हुए है। नजरी नक्शा अनूसूची ,,क,,पेश है। जो इस वाद का अहम भाग है। नजरी नक्शे मे प्रत्येक वादी व प्रतिवादी के बन्ट मे आई जमीन को दर्शाया गया है।इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है।

कानूनी बन्टवारा प्रतिवादीगण स. 01 करने से इनकार होने व मामला अचल सम्पति का है। खेत पर वादी का अपने बढेरो के वक्त से कब्जा काश्त है। जमीन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से बन्टी हुई नही होने से वादी की जमीन की सींव मौके पर कायम करनी जरूरी हो गई है इस लिए वादी अपने बन्ट व कब्जे काश्त की जमीन का बन्टवारा कराने हेतु बन्टवारा का दावा पेश करता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 239 रकबा 66 बीघा 02 बिस्वा व खेत ख. न. 1154/239 रकबा 08 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता की जमीन वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के मौके पर अलग–अलग बन्ट व कब्जा काश्त में होने के बावजूद खेतो की खातेदारी सामलाती दर्ज नही होने से व प्रेमकंवर पत्नि स्व.सवाईसिंह व ओमकंवर, कमलाकंवर, सम्पतकंवर, सन्तोषकंवर, राजेशकंवर, प्रकाशकंवर, मोनिकाकंवर पुत्रियॉं स्व सवाईसिंह द्वारा उपरोक्त खेतो मे से अपना हिस्सा तर्क करा देने के बावजूद खातेदारी मे नाम दर्ज रहने से व प्रतिवादी संख्या 01 का नाम सामलाती खातेदारी में दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 01 जमीन बैचने के फिराक में होने पर व वादी द्वारा राज्य सरकार से समय –समय पर मिलने वाली योजना का लाभ नही उठा सकने के कारण वादी के जायज खातेदारी अधिकार खतरे मे पड. गये है।वादी अपने बन्ट की 1/2 हिस्से की जमीन अपने नाम घोषणा कराने का अधिकारी है। जिस हेतु यह घोषणा खातेदारी का दावा पेश है।

प्रार्थना वादी है कि

कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी सं 01 डिकी फरमाया जावे तथा वादग्रस्त मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 239 रकबा 66 बीघा 02 बिस्वा व खेत ख. न. 1154/239 रकबा 08 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता की खातेदारी में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक 1/2–1/2 हिस्सा घोषित किया जावें व इसी मुताबिक घोषित हिस्से का रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।व हकतर्क दिनाकं 21.01.2019 के अनुसार उपरोक्त खेतो की खातेदारी मे से प्रेमकंवर पत्नि स्व.सवाईसिंह व ओमकंवर, कमलाकंवर, सम्पतकंवर, सन्तोषकंवर, राजेशकंवर, प्रकाशकंवर, मोनिकाकंवर पुत्रियॉं स्व सवाईसिंह का नाम हटाया जावे।

कि मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 239 रकबा 66 बीघा 02 बिस्वा व खेत ख. न. 1154/239 रकबा 08 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बन्टवारा वाद के पद संख्या 04 व नजरी नक्शा के अनुसार जमीन का बन्टवारा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से कर वादी का हिस्सा व कब्जा काश्त की जमीन नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अलग से बन्ट में दिलाने का आदेश फरमाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 25.01.2019 को वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने राजीनामा पेश किया, राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकरान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री समन्दरसिंह नाथावत ने की व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार राखेचा ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 बावजूद तामील के अनुपस्थित। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

:–आदेश–:

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 239 रकबा 66 बीघा 02 बिस्वा व खेत ख. न. 1154/239 रकबा 08 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता की खातेदारी में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक 1/2–1/2 हिस्सा घोषित किया जाता है ।व रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनाकं 21.01.2019 के अनुसार उपरोक्त खेतो की खातेदारी मे से प्रेमकंवर पत्नि स्व.सवाईसिंह व ओमकंवर, कमलाकंवर, सम्पतकंवर, सन्तोषकंवर, राजेशकंवर, प्रकाशकंवर, मोनिकाकंवर पुत्रियॉ स्व सवाईसिंह का नाम हटाया जाता है। तथा मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 239 रकबा 66 बीघा 02 बिस्वा व खेत ख. न. 1154/239 रकबा 08 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता का बन्टवारा राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। राजीनामा, व नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **25.01.2019** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2019 / 38** दायर दिनांक **24.01.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	**बनाम्**	1. देवीसिंह पुत्र स्व.सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 2. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बन्टवारा

अन्तर्गत धारा 88, 53, राज. काश्त. अधि.

दिनांक **25.01.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री समन्दरसिंह अधिवक्ता, वादी उपस्थित व श्री राजकुमार अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 एक ,उपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 239 रकबा 66 बीघा 02 बिस्वा व खेत ख. न. 1154 / 239 रकबा 08 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता की खातेदारी में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक 1 / 2–1 / 2 हिस्सा घोषित किया जाता है ।व रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनाकं 21.01.2019 के अनुसार उपरोक्त खेतो की खातेदारी मे से प्रेमकंवर पत्नि स्व.सवाईसिंह व ओमकंवर, कमलाकंवर, सम्पतकंवर, सन्तोषकंवर, राजेशकंवर, प्रकाशकंवर, मोनिकाकंवर पुत्रियॉ स्व सवाईसिंह का नाम हटाया जाता है। तथा मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 239 रकबा 66 बीघा 02 बिस्वा व खेत ख. न. 1154 / 239 रकबा 08 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता का बन्टवारा राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। राजीनामा, व नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......................–.. ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **25.01..2019** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	—		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner